[2018] 1 एस.सी.आर. 671

तमिलनाडु राज्य द्वारा सचिव एवं अन्य

बनाम

के. बालू और अन्य

(एमए सं. 2018 के 492-494) में (सीए नं. 2016 के 12164-12166)

फरवरी 23, 2018

दीपक मिश्रा, सीजेआई, अमितावा रॉय और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जेजे।

शराब-बिक्री-हिमाचल प्रदेश राज्य में-4.8.2017 को उत्तराखंड राज्य के मामले में, उत्तराखंड राज्य में पहाड़ी इलाकों में रियायत के लिए प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया गया था-उस आदेश के मद्देनजर, तत्काल आवेदन में, हिमाचल प्रदेश राज्य ने समता की मांग की-हिमाचल प्रदेश राज्य को निर्देश हिमाचल प्रदेश राज्य में उन जिलों के विवरणों को स्थापित करने के लिए हलफनामा दायर करने के लिए जिन्हें पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी जिले माना जा सकता है।

तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू (2017) 6 एससीसी 715--का उल्लेख किया।

केस लॉ संदर्भ-

(2017) 6 एससीसी 715 पैरा 2 को संदर्भित किया गया

सिविल अपील सं. 12164-12166/2016 में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार एम. ए. 492-494/2018

रिट याचिका सं. 23773/2012 में एम.पी. सं. 2013 की 9 और 10 में रिट याचिका नं. 23773/2012, मद्रास उच्च न्यायालय निर्णय और आदेश दिनांक 25.02.2013 और 28.03.2013

अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर सलाहकार., रॉय अब्राहम, सुश्री सीमा जैन, सुश्री रीना रॉय, हिमिंदर लाल, पी. एन. गोस्वामी, सुश्री प्रणिता शेखर, पवन के. शर्मा, शशि रंजन, धर्मेंद्र कुमार

सिन्हा, डॉ. मनीष सिंघवी, सत्येंद्र कुमार, शैलजा नंदा मिश्रा, इरशाद अहमद, आशुतोष दुबे, कृष्णेंदु सरकार, सुश्री राजश्री, अभिषेक चौहान, वीएस रावत, सुशील पांडे, सुश्री कुलजीत कौर, प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, सुश्री आनंदिनी कुमारी, पीवी योगेश्वरन, आरबी फूकन, सुश्री नेहा टंडन, शैलेश मडियाल, एम. योगेश कन्न, यश पाल ढींगरा, सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, अजय मारवाह, इरशाद अहमद, सलाहकार. अपीलकर्ताओं के लिए।

एस. एस. शमशेरी, एएजी, सीएल पांडे, सीनियर सलाहकार., सुश्री बीनू तमता, एस. एस. रावत, हेमंत आर्य, जी. एस. मक्कर, अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रूचि कोहली, मनीष कौशिक, सुश्री अनन्य पांडे, दीपेश शर्मा, यश पाल ढींगरा, जी. प्रकाश, जिष्णु एमएल, श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वीएल, एस. थानंजयन, कालेश्वरम राज, सुविदत्त एम. एस., अजय मारवाह, सलाहकार. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

1. हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा उत्तराखंड राज्य के साथ उपचार की समानता के लिए एमए/आईए दायर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने 31 मार्च 2017 के अपने आदेश द्वारा इस प्रकार अवधारणा की गयी थी-

“जहाँ तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, हम इस विचार के हैं कि छूट जो पहले दी गई है, 20,000 की आबादी के साथ स्थानीय निकायों के तहत विफल क्षेत्रों के संबंध में राज्य के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करेंगे। इसके संबंध में अन्य छूट नहीं प्रदान की जाएगी, जिसके संबंध में पूर्व में कहा गया है”।

2. उत्तराखंड राज्य के मामले में, इस न्यायालय द्वारा 4 अगस्त 2017 को एमए नं. 2017 के 470 सिविल अपील में 2016 के 12164-12166 (तमिलनाडु राज्य वीके बालू) निम्नलिखित शब्दों मेंः

“2. पूर्वोक्त पर अपना विचारशील विचार देने के बाद उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत, और इस संबंध में दायर 17.7.2017 के अतिरिक्त हलफनामे को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है, कि विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना उत्तरकाशी के जिलों के लिए स्वीकार की जानी चाहिए, चमोली, रुद्रप्रकाश, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा। जहां तक जिला का संबंध है, यह केवल चार तहसीलों तक विस्तारित होने का हकदार है-नैनीताल,

धारी, कोसया कुटौली और बेतालघाट, और देहरादून जिले की तीन तहसीलों चक्रता, कलसी और तिउनी तक विस्तारित होने का हकदार है।"

3. यह स्पष्ट है, कि रियायत हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों तक विस्तारित नहीं है। उत्तराखंड राज्य के मामले में 4 अगस्त 2017 को पारित किए गए आदेश के मद्देनजर, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर एमए/आईए समता चाहते हैं।

3. इससे पहले कि हम हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से किए गए अनुरोध पर विचार कर सकें, यह आवश्यक है कि न्यायालय को राज्य के उन जिलों से अवगत कराया जाए जिन्हें पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी जिले माना जा सकता है। उत्तराखंड राज्य के मामले में अदालत द्वारा इस तरह की कार्रवाई का पालन किया गया था, 4 अगस्त 2017 को आदेश पारित किया गया था।

4. हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि उपरोक्त विवरणों को निर्धारित करने वाला एक हलफनामा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाए। उसके बाद सूचीबद्ध किया जाय।

निर्देश जारी किए गए।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra